न्यायालयः—माखनलाल झोड, द्वितीय अपर संत्रे न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय—बैहर

आपराधिक पुनरीक्षण क्रमांक /11/2017

Filling No. CRR/805/2017 संस्थित दिनांक— 03.06.2017 सी.एन.आर.नं.—एम.पी.50050011752017

अनिता बोपचे आयु 32 वर्ष पति लक्ष्मीप्रसाद बोपचे जाति पंवार निवासी–ग्राम खेरलांजी तहसील बेहर जिला बालाघाट — — प्नरीक्षणकर्ता

/ / <u>विरूद</u> / /

- 1- लक्ष्मीप्रसाद बोपचे आयु 33 वर्ष पिता बाबूलाल जाति पंवार
- 2- बाबूलाल बोपचे आयु 56 वर्ष पिता दढुलाल जाति पंवार
- 3— निर्मेलाबाई बोपचे आयु 51 वर्ष पति बाबूलाल जाति पंवार
- 🛶 ममता आयु ३६ वर्ष पति लक्ष्मीप्रसाद जाति पंवार
- 5— रूक्खनबाई आयु 71 वर्ष पति दढुलाल जाति पंवार सभी निवासी—ग्राम खैरलांजी तहसील बैहर जिला बालाघाट

— — <u>गैरपुनरीक्षणकर्तागण</u>

न्यायालयः — श्री दिलीप सिंह न्यायिक, दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी बालाघाट दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 970 / 2011 अनीताबाई बनाम लक्ष्मीप्रसाद वगैरह में पारित आदेश से व्यथित होकर धारा 397 द.प्र.सं. के अधीन यह पुनरीक्षण याचिका पेश की है।

श्री आर0के0 पाठक अधिवक्ता वास्ते पुनरीक्षणकर्ता। श्री वैभव मिश्रा अधिवक्ता वास्ते गैरपुनरीक्षणकर्तागण।

-/// आदेश ///-

(<u>आज दिनांक 15 फरवरी 2018 को पारित</u>)

1— पुनरीक्षणकर्ता ने यह पुनरीक्षण धारा 397 द0प्र0सं0 के अधीन न्यायालय श्री दिलीप सिंह, न्यायिक मिजस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर द्वारा आपराधिक प्रकरण कमांक 970/2011 अनिता बनाम लक्ष्मी प्रसाद वगैरह में आदेश दिनांक 03.05.2017 निरस्त किए जाने से परिवेदित होकर पेश की है।

- 2— पुनरीक्षणकर्ता के मूल परिवाद का सार यह है कि उभयपक्ष एक ही जाति समाज के होकर ग्राम खैरलांजी थाना बैहर जिला बालाघाट के निवासी है। परिवादी और आरोपी कं. 1 का विवाह सामूहिक विवाह योजनांतर्गत ग्राम टाटरी जिला मण्डला में सम्पन्न हुआ था। विवाह को सामाजिक मीटिंग में जाति रिवाज के अनुसार सम्पन्न होने की मान्यता दी गई। उभयपक्षों के बीच किसी भी न्यायालय में विवाह विच्छेद नहीं हुआ यह जानते हुए भी आरोपी कं. 1 ने आरोपी कं. 4 के साथ पाट विवाह कर परिवादिनी की सहमित के बिना पत्नि बनाकर रख लिया। दोनों पति पत्नि के रूप में निवास कर रहे हैं। आरोपी कं. 4 परिवादिनी कं. 4 की सौत है।
- 3— अभियुक्त कं. 1 और परिवादिनी के वैवाहिक संबंध में अगस्त 2006 में पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम नागेश्वर है। छुट—पुट विवाद परिवादिनी और अभियुक्त कं. 1 के बीच में हुआ। वर्ष 2008 के लगभग आरोपी कं. 1 के संसर्ग से परिवादिनी गर्भवती हुई के बाद आरोपी कं. 1 का व्यवहार बदला—बदला सा होने लगा। आरोपी कं. 1, 2, 3 और 5 परिवादिनी को प्रताड़ित करने लगे और कहने लगे कि दूसरे बच्चे की आवश्यकता नहीं है। वे जबदस्ती परसबाड़ा ले गये और डॉ. पीं.के.विश्वास से उपचार कराकर गर्भपात करा दिया। आवेदिका पुनः गर्भवती हुई तो पुनः गर्भपात करा दिया गया। परिवादिनी को खाने पीने के लिए परेशान करने लगे। परिवादिनी ने तंग आकर ग्राम कोटवार और ग्राम पटेल से शिकायत की। मई 2011 में आरोपी कं. 4 के साथ आरोपी कं.1 ने पाट विवाह कर लिया और अपने साथ घर में निवास करने लगे, जबिक परिवादिनी वैध पत्नि है। आरोपीगण कहने लगे कि आरोपी कं. 4 अपने साथ 50,000/—(पचास हजार) रूपये लोई है इसी प्रकार तू भी 50,000/—(पचास हजार) रूपये लेकर आ नहीं तो तुझे मारकर गाड़ देंगे जिसकी सामाजिक मीटिंग रखी गई जिसमें अभियुक्तगण नहीं आये। आरोपीगण द्वारा धारा 494, 497, 498ए भा0द0वि0 के अधीन अपराध किया है, कठोर दंड दिया जावे।
- 4— प्रस्तुत पुनरीक्षण के आधार का सार यह है कि विचारण न्यायालय ने विधि की उपेक्षा कर निर्णय पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र की सूक्ष्म विवेचना किये बिना निर्णय पारित किया गया है। पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है। परिवाद पत्र के तथ्यों की पुनरावृत्ति की है तथा आदेश दिनांक 03.05.2017 को अपास्त किये जाने की याचना की है।

- 5— उभयपक्ष द्वारा किये गये तर्कों को विचार में लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 03.05.2017 इस प्रकार है कि परिवादी पक्ष ने आरोपपूर्व साक्ष्य में किसी भी साक्षी की साक्ष्य प्रकरण में नहीं कराई है। इसलिए किसी भी धारा का आरोप बनना दर्शित नहीं होता है। भा0द0सं0 की धारा 498ए/34, 494/109 के अपराध से उन्मोचित किया जाता है।
- 6— इस न्यायालय द्वारा परिवादी स्वयं अनिता बोपचे परिवादी साक्षी कं. 1 के लेख कथन दिनांक 08.12.2011 परिवादी साक्षी कं. 2 प्रभूदयाल के धारा 202 द0प्र0सं0 के अधीन कथन दिनांक 08.12.2011 सोहनलाल परिवादी साक्षी कं. 3, शालिकराम परिवादी साक्षी कं. 4 के कथन दिनांक 08.12.2011 का अध्ययन किया गया।
- 7— परिवादिनी स्वयं ने अपने मुख्य कथन के पद कं. 3 में कथन किया कि उसका पित नागपुर जाने के लिए घर से गया वहां से ममताबाई को दूसरी पित्न बनाकर ले आया। यह जानकारी साक्षी की सास और ससुर आजी सास को थी। ममता को दूसरी पित्न बनाकर लाने पर गांव में चर्चा होने लगी। दूसरी शादी बाबत साक्षी की सहमित नहीं थी।
- 8— प्रभूदयाल परिवादी साक्षी कं. 2 ने पद कं. 2 में साक्ष्य दी है कि लक्ष्मीप्रसाद नागपुर कमाने खाने भेजने पर गया था। 10—15 दिन बाद वह ममताबाई एंव दूसरी पिन बनाकर ले आया जो साथ निवास कर रही है। सोहनलाल परिवादी साक्षी कं. 3 ने भी पंजीयन पूर्व लेख कथन के पद कं. 2 में समान आशय की साक्ष्य दी है। शालिकराम अ.सा.4 ने पद कं. 2 ने कथन किया है अनिता ने आकर शिकायत की लक्ष्मीप्रसाद ने ममताबाई से दूसरी शादी कर ली है और उसे घर ले आया है किन्तु इस साक्षी ने ममता को देखा ऐसा कथन नहीं है।
- 9— उक्त साक्ष्य के आधार पर तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्री माधवराव गोठिया द्वारा धारा 498ए/34, धारा 494/109 भा0द0वि0 के अधीन मामला पंजीबद्ध किया गया है। आदेश मूल अभिलेख में है।
- 10— आदेश दिनांक 15.12.2011 के पश्चात मामला आरोप पूर्व साक्ष्य हेतु नियत हुआ है जो दिनांक 07.11.2016 तक साक्ष्य हेतु नियत होता रहा है। श्री श्रीष कैलाश शुक्ल, तत्कालीन जे.एम.एफ.सी. बैहर द्वारा लेख करायी गई आदेश पत्रावली दिनांक 17.01.2017 में

परिवादी के अधिवक्ता द्वारा आरोपपूर्व साक्ष्य नहीं दिये जाने पर तर्क हेतु मामला नियत किया गया तथा तर्क श्रवण कर दिनांक 03.05.2017 को श्री दिलीपसिंह जे.एम.एफ.सी. बैहर द्वारा प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया।🚫

लेख आदेश पत्रावली के आधार पर दिनांक 15.12.2011 को परिवाद पर 11-प्रकरण पंजीबद्ध होने के पश्चात आरोपीगण के उपस्थित होने पर दिनांक 18.01.2012 से दिनांक 17.01.2017 तक 5 वर्ष की अवधि में परिवादी ने आरोपपूर्व साक्ष्य लेखबद्ध नहीं कराई है। अभिलेख पर इस अवधि में कोई साक्ष्य लेख कराई हो ऐसा न तो आक्षेप है और न ही कथन उपलब्ध है। यदि परिवादी को उन्ही साक्षियों को पूर्व लेख कथन को ही आरोप हेत् ग्राह्य करना था तो अभियुक्त पक्ष को धारा ४९८ए भा०द०विं० का अपराध वारंट ट्रायल होने से आरोपपूर्व प्रतिपरीक्षण का अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए था। उक्त पांच वर्ष की अवधि में परिवादी स्वयं और उसके साक्षियों ने उपस्थित होकर आरोपपूर्व साक्ष्य लेख नहीं कराई है जबकि परिवादी के अधिवक्ता प्रत्येक पेशी पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते रहे हैं।

संपूर्ण अभिलेख पर उपलब्ध परिस्थितियों के आधार पर आरोपपूर्व साक्ष्य 12-अभिलेख पर न होने से प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 03.05.2017 में विधि की त्रुटि, तथ्य की त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। उक्त आदेश की पुष्टि की जाती है।

अतः प्रस्तुत पुनरीक्षण सारहीन होने से निरस्त किया जाता है। 13-

इस आदेश की एक प्रति मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर प्रेषित की जावे। 14-

आदेश हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में पारित किया गया।

सही/-(माखनलाल झोड़) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर HINES WINDS EG ARTE मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट

Shivam Sharma, Steno